संक्षिप्त समाचार.....

पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए नई एसओपी जारी, जमीन पाने के लिए 3 साल में करना होगा 50 करोड़ का निवेश

जयपुर। राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने सरकारी जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव किया है। राजस्व विभाग ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत निवेशकों को जमीन पाने के लिए तीन साल में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य होगा। यह दिशा-निर्देश राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था में होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए निवेश के आधार पर जमीन का क्षेत्रफल भी तय किया गया है। नई एसओपी के अनुसार, जिलाधिकारी पर्यटन निवेश की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सरकारी जमीन की पहचान करेंगे। इसके लिए सार्वजनिक पहुंच मार्ग, जमीन के स्पष्ट मालिकाना हक और खसरा रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। वहीं, आवंटन के लिए आरक्षित जमीन का पूरा ब्योरा, क्यूआर कोड और लोकेशन जिलाधिकारी तथा पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे निवेशकों को जमीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।

अजमेर पुलिस की अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध 28वीं कार्रवाई, पांच सदस्यीय परिवार दस्तयाब

जयपुर। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं निष्कासन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 28वीं कार्रवाई करते हुए पांच सदस्यीय एक परिवार को दस्तयाब किया है। इनमें बांग्लादेशी मूल के 63 वर्षीय माजिद अली, उसकी 55 वर्षीय पत्नी फरजान खान तथा उनके दो पुत्र और एक पुत्री शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ अजमेर जिले में अब तक दस्तयाब किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या 66 हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज डॉ. रवि के निर्देशानुसार अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों एवं अन्य घुसपैठियों की पहचान कर उनके निष्कासन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ के मार्गदर्शन तथा वृत्ताधिकारी दरगाह हर्षित शर्मा के नेतृत्व में सीआईडी जोन अजमेर के साथ विशेष टीम गठित की गई है।

टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं मरीजों के लिए वरदान बन रहा मिशन मधुहारी

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों एवं मरीजों को बेहतर उपचार एवं नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित मिशन मधुहारी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इस मिशन के माध्यम से प्रदेश के सभी 41 जिलों में मरीजों को निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास उल्लेखनीय हैं। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि मिशन मधुहारी के तहत अब तक 3,761 मरीजों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 205 स्वास्थ्य संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिनमें 138 संस्थानों में मरीजों का नामांकन किया जा रहा है। इनमें 65 जिला अस्पताल, 61 उप जिला अस्पताल, 7 सैटेलाइट अस्पताल एवं 5 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अब तक 2,153 मरीज कम से कम एक बार फॉलोअप ले चुके हैं।

सिरोही में पंचायत कार्यालय शिफ्ट करने पर विवाद, ग्रामीणों ने स्कूल में संचालन का किया विरोध

सिरोही। सिरोही जिले की ग्राम पंचायत कारोली का कार्यालय दूसरी जगह शिफ्ट करने की कथित कवायद को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उपसरपंच की ओर से गोलिया गांव के राजकीय विद्यालय में पंचायत कार्यालय संचालित करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि मुख्य राजस्व ग्राम कारोली, तहसील देलदर में नवगठित ग्राम पंचायत का शुभारंभ 22 जनवरी 2026 को हुआ था। इसके बाद से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भवन कारोली में ही नियमित रूप से काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव भी इसी गांव में संपन्न हुए थे और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ भी पंचायत भवन में ही दिलाई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच और उपसरपंच गोलिया के कुछ लोगों के साथ मिलकर पंचायत कार्यालय को वहां स्थित राजकीय विद्यालय के एक कमरे में संचालित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय का कमरा आवंटित करवाया गया है।

मौत के बाद जागा चिकित्सा विभाग, अब पूरे संभाग की रेफरल व्यवस्था की होगी जांच

जयपुर। कोटा में प्रसूता की मौत के मामले ने प्रदेश की मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के बीच रेफरल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अब इस घटना के बाद पूरे कोटा संभाग में गर्भवती महिलाओं के इलाज, जांच और आपात स्थिति में उन्हें बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था की समीक्षा करेगा। खास तौर पर यह देखा जाएगा कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गंभीर स्थिति वाली गर्भवती महिलाओं को समय पर उचित उपचार मिल रहा है या नहीं। प्रसूता प्रीति महावर की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग भेजकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल सिस्टम की जमीनी स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए और हेपेटाइटिस-ई की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है।

अजमेर में मादक पदार्थ तस्कर तरुण नाहरिया पर आर्थिक कार्रवाई, 32 लाख कीमत के चार वाहन फ्रीज

जयपुर। मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्कर तरुण नाहरिया एवं उसके परिजनों के नाम पर खरीदे गए चार वाहनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत फ्रीज करवाया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी एवं सप्लाई से अर्जित अवैध आय से अपने नाम के साथ-साथ पत्नी और माता के नाम पर भी वाहन खरीदे थे। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, दिल्ली ने इन वाहनों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत 32 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत चालानशुदा अपराधियों के विरुद्ध उनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अजमेर हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ तथा वृत्ताधिकारी दक्षिण नगर मनीष बडगूजर के निकटतम सुपरविजन एवं मार्गदर्शन में रामगंज थानाधिकारी हरिपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं एवं रेफरल व्यवस्था की होगी समीक्षा

कार्यवाहक निदेशक आरसीएच को कोटा भेजकर रेफरल व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश

जयपुर/एजेंसी।



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कोटा में प्रसूता श्रीमती प्रीति महावर की मृत्यु के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे मामले की जानकारी ली। बैठक में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री खींवसर ने कहा कि प्रसूता की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है। राज्य सरकार मातृ मृत्यु की प्रत्येक घटना को गंभीरता से लेती है। प्रसव के बाद महिला की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। जांच में लिवर फंक्शन में अत्यधिक खराबी सामने आई तथा आगे चलकर फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर एवं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की स्थिति विकसित हुई। महिला को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार दिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए एवं हेपेटाइटिस-ई की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उन्होंने पूरे प्रकरण के चिकित्सकीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग भेजकर संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं एवं रेफरल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

उन्होंने सेतु रेफरल सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को बिना किसी विलंब के उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय एवं रेफरल प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि एएनएम, बीसीएमओ एवं सीएचओ को रेफरल प्रक्रिया, गर्भवती महिलाओं की देखभाल तथा उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान एवं निगरानी के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रसूताओं की देखभाल के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कोटा संभाग के सभी जिलों में एंबुलेंस सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समन्वय, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, जोखिम का समय पर आकलन तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल रेफरल की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।

राजस्थान संपर्क 181 की समीक्षा में वाणिज्यिक कर आयुक्त ने वीडियो कॉल पर परिवादियों की समस्याएं सुनीं



जयपुर/एजेंसी।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर आयुक्त श्रीमती आनंदी ने शुक्रवार को राजस्थान संपर्क 181 पर दर्ज विभागीय परिवादों की समीक्षा की।

उन्होंने वीडियो कॉल पर परिवादियों की समस्याएं सुनीं। भीलवाड़ा के विशाल सिंह ने शिकायत की कि इंदौर से भीलवाड़ा तक नियमित रूप से बिना बिल माल लाया जा रहा है। उन्होंने मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग की।

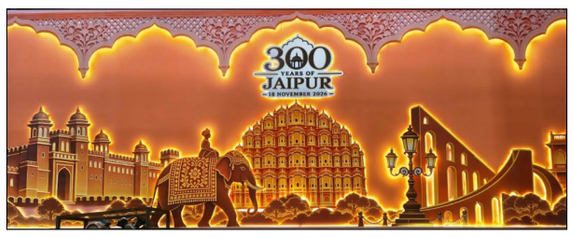
बाड़मेर से दर्ज परिवाद में निर्मल ने बताया कि भूजल जांच के लिए उनसे 20 हजार रुपये नकद लिए गए थे। उनके अनुसार, रसीद पर जिस जीएसटी पंजीकरण का उल्लेख था, वह पहले ही रद्द हो चुका था। उन्होंने राशि वापस दिलाने की मांग की। इसी प्रकार जोधपुर के विनोद चौहान ने बताया कि उन्होंने रसोई के लिए पत्थर की स्लैब खरीदी और उसका भुगतान ऑनलाइन किया। सामान मिलने के बाद भी विक्रेता ने उन्हें बिल नहीं दिया। उन्होंने खरीद का बिल उपलब्ध कराने की मांग की।

आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित कुल 1,355 परिवादों में से 1,246 का निस्तारण हो चुका है और 109 लंबित हैं। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार जयपुर में 374 में से 351, जोधपुर में 101 में से 88 और उदयपुर में 75 में से 69 परिवाद निस्तारित किए गए।

45 वाँ भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला:

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राजस्थान मण्डप नए रूप-रंग के साथ शुरू

जयपुर/एजेंसी।



नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुक्रवार को शुरू हुए पन्द्रह दिवसीय 45 वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष की थीम ''विकास और विरासत'' के अनुरूप राजस्थान मंडप नए रूप-रंग के साथ प्रारंभ हुआ। राजस्थान मंडप के निदेशक श्री हर्ष शर्मा ने बताया कि राजस्थान मंडप इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के राजस्थान सहभागी राज्यों में शामिल है। लगभग 1000 स्क्वॉयर मीटर में फैले राजस्थान मंडप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार मेले में राजीविका से जुड़े उद्यमियों द्वारा लगभग 45 स्टालों का प्रदर्शन किया गया है। जिसमें राजस्थान के विश्व प्रसिद्व हस्तशिल्प उत्पादों को विशेष रूप से देश-विदेश में धूम मचाने वाली राजस्थानी हस्तशिल्प वस्तुओं में लाख की चूड़ियां, महिलाओं के श्रृंगार के विविध आईटम्स, जयपुरी रजाईयां, टैक्सटाईल्स का सामान, चद्दरे और मोजड़ियों के उत्पादों के स्टॉल शामिल है।

उन्होंने बताया कि भारत मंडपम के हॉल नंबर 3 के (भूतल) पर स्थित राजस्थान मंडप में 18 नवम्बर, 2026 को जयपुर शहर के 300वें स्थापना दिवस को बड़े चित्र पैनल से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में निवेश और व्यावसायिक अवसरों से संबंधित जानकारी देने के लिए बिजनेस इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। राजस्थान की भागीदारी का उद्देश्य राज्य के कारीगरों, उद्यमों और निवेश अवसरों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों से जोड़ना है। श्री शर्मा ने बताया कि मंडप के बाहरी क्षेत्र में राजस्थान पर्यटन द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है।मंडप के मध्य स्थल पर रीको द्वारा भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण प्रदर्शित किया है।

पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना

जयपुर(अमृत इंडिया)।



पंचायतीराज आम चुनाव के चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों में 14 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी परिसर से मतदान दल अंतिम प्रशिक्षण के उपरांत ईवीएम एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई। मतदान दलों की रवानगी के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मतदान दलों एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति एवं सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण के तहत जयपुर जिले की चार पंचायत समितियों बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ एवं आंधी के मतदान दल निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार रवाना हुए। पंचायत समिति क्षेत्र बस्सी के 145, तूंगा के 74, जमवारामगढ़ के 129 तथा आंधी के 98 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए। इस प्रकार चतुर्थ चरण में कुल 446 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल अपने निर्धारित गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हुए।

उन्होंने बताया कि चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बस्सी की 42, तूंगा की 24, जमवारामगढ़ की 42 तथा आंधी की 32 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। इस प्रकार चारों पंचायत समितियों की कुल 140 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी।

चतुर्थ चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शनिवार, 14 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद रविवार, 15 नवंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी और उप मुख्यमंत्री श्री बैरवा सहित विशिष्टजनों ने की मुलाकात



जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे से शुक्रवार को लोकभवन में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा एवं न्यायाधिपति श्री प्रमिल कुमार माथुर सहित बड़ी संख्या में विशिष्टजनों ने मुलाकात कर दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

लोकभवन में गुरुवार को भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए विशिष्टजनों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

राज्यपाल श्री बागडे ने सभी का अभिनंदन करते हुए उन्हें दीपावली के नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

15 नवम्बर को प्रदेशभर में मनाया जाएगा विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मरण दिवस एवं राज्य सड़क सुरक्षा दिवस

जयपुर/एजेंसी।



जयपुर, 13 नवम्बर। सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों एवं उनसे प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में 15 नवम्बर 2026 को 'विश्व सड़क दुर्घटना पीड़ित स्मरण दिवस' एवं 'राज्य सड़क सुरक्षा दिवस' व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नवम्बर माह के तीसरे रविवार को विश्वभर में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों, घायलों और उनसे प्रभावित लोगों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिवस की थीम ' रिमेम्बर, सपोर्ट, एक्ट' निर्धारित की गई है। राजस्थान में भी इसी अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित विभागों, सामाजिक संस्थाओं, सिविल सोसायटी एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाएं। प्रदेश के जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए व्यक्तियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा।

पुलिस विभाग के सहयोग से दुर्घटनाओं में दिवंगत व्यक्तियों की जानकारी, नाम, फोटो, दुर्घटना की तिथि एवं मूल निवास सहित अन्य विवरण संकलित किए जाएंगे। श्रद्धांजलि सभा स्थल पर दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में फ्लैक्स प्रदर्शित किए जाएंगे। कार्यक्रम में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें कार्यवाही : मुख्य सचिव

जयपुर/एजेंसी।

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में वित्त (राजस्व) विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर माह तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी विभाग राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करें। प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करे तथा राजस्व के नए स्रोतों की पहचान कर अतिरिक्त राजस्व अर्जन की कार्ययोजना तैयार करे। राजस्व संग्रहण में कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष निगरानी की जाए।

उन्होंने राजस्व रिसाव की रोकथाम, कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण तथा बकाया राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा एनालिटिक्स का अधिकाधिक उपयोग कर संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा विभागों के बीच डेटा साझा करने एवं समन्वय मजबूत करने पर बल दिया।

बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2026 तक राज्य को कुल 81,606 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की समान अवधि के 72,734 करोड़ रुपये से 12.20 प्रतिशत अधिक है। निर्धारित आनुपातिक लक्ष्य 1,08,442 करोड़ रुपये के विरुद्ध 75.25 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है।

Rajasthan State Road Development And Constrution Corporaction Ltd., Jaipur.

निविदा सूचना/2026-27

निम्नलिखित कार्य के लिए केन्द्र / राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों एवं उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रकिया हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है–

कार्य का विवरण	कार्य की कुल अनुमानित लागत(रू.)	निविदा सूचना संख्या
Electrical work at Gymnasium Hall and other Const. work at Sports Stadium and ADJ Court, Rajgarh District Churu. (03 No. works) UBN: (1)RRC2627WSOB00757(2)RRC 2627WSOB00758 (3)RRC2627WSOB00759	138.38 Lakh	ई455/ 26-27
Electrical work at Const. of Dr. Shyama Prasad Mukharji Model Convention Centre at Jhunjhunu. UBN: (4)RRC2627WSOB00760	99.74 Lakh	
Main Gate Renovation work of Haridev Joshi University of Journalism & Mass Communication, Jaipur. UBN: RRC2627WSOB00750	28.65 Lakh	ई 456/ 26-27
Misc. Civil work at RHC, Jodhpur. UBN: RRC2627WSOB0075	339.09 Lakh	
Repair & Maintenance of Toilet and Const. in CJ Chamber and Adjacent Area at RHC, Jodhpur. UBN: RRC2627WSOB00754	61.43 Lakh	

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, डाउनलोड करने व खोलने की तारीख सहित सम्पूर्ण विवरण एवं संशोधन वेबसाईट: http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.inतथा http://pwd.rajasthan.gov.in/rsrdपर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.inपर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। **महाप्रबंधक**

No. NIT/2026-27/9345-57 **Date: 13.11.2026**

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.
सीआईएन : U64990HR2016PTC057984
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट 2009-14, 20वीं मंज़िल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु पश्चातवर्ती विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु पश्चातवर्ती विक्रय सूचना के लिए ई-नीलामी।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(ओं)/सह-कर्जदारों/जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्ज़ा मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 21.08.26 को लिया जा चुका है, उक्त प्रतिभूत/बंधक आस्तियों का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा।

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम HTTPS://WWW.BANKEAUCTIONS.COM के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

संपत्ति का विवरण :

आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका पट्टा नं. 11, बुक नं. 396, मिसल नं. 6/2022-23 है, स्थित-ग्राम नया खेड़ा, ग्राम पंचायत बोरडा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। कुल क्षेत्रफल 814 वर्ग फुट। **चौहद्दी: पूर्व-हरिनारायण/रामकरण बैरवा परिश्चम-माना/नारायण बैरवा उत्तर-** भाई का रास्ता **दक्षिण-** आम रास्ता।

कर्जदार/ओं एवं जमानतदार/ओं के नाम एवं पता	1. नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3. बोली वृद्धि
1. राम लाल बैरवा पुत्र गोमा चमार (कर्जदार) 2. शांति बैरवा पत्नी राम लाल बैरवा (सह-कर्जदार) 3. गोमा लाल पुत्र उदा बैरवा (सह-कर्जदार) सभी निवासी- नया खेड़ा, बोरडा, भीलवाड़ा, राजस्थान-311404 ऋण खाता सं. LXSHP02923-240033982 ऋण अनुबंध तिथि : 20-फरवरी-2024 ऋण राशि रु. 2,80,000/- दिनांक 22-अगस्त-2026 तक कुल बकाया राशि रु. 4,23,774/- + 23-अगस्त-2026 से आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्क।	1) नीलामी तिथि- 02.12.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 1:00 बजे के बीच, 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 30.11.2026 सायं 5:00 बजे तक (IST) 3) निरीक्षण की तिथि : 28.11.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 1:00 बजे के बीच (IST)	आरक्षित मूल्य : रु. 5,21,000/- बयाना राशि जमा (ईएमडी): रु. 52,100/- बोली वृद्धि रु. 10,000/- एवं उसके गुणकों में।

नीलामी के नियम एवं शर्तें

ऑनलाइन ई-नीलामी विक्रय के बोली दस्तावेज़, घोषणा-पत्र, सामान्य नियम एवं शर्तें सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाता सपोर्ट नं. 7291981124,25,26 पर तथा श्री भाविक पंडया 8866682937 से संपर्क कर सकते हैं, सपोर्ट ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com (सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) अथवा auction@ummeedhfc.in, तथा संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न हेतु उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि. से संपर्क नं. **18002026127** पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी राशि डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि. के खाता सं. 50200021387303, आईएफएससी- HDFC0003906 के पक्ष में ईएमडी की निर्धारित तिथि एवं समय को अथवा उससे पूर्व जमा करनी होगी।

दिनांक : 14-नवंबर-2026
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

ह./- प्राधिकृत अधिकारी, संपर्क टोल फ्री नं. 1800-2026-127
कृते उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक, **सम्पादक अमृत जैन के लिये,** यंगलीडर प्रेस से मुद्रित 2073, चाकसू का चौक, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित। **मो. 9868155089, 9829193560 फोन नं. 0141-2570653 (RNI No. RAJHIN/2004/12833)**